



हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101. ☎ 0122-2308764-65
वेबसाइट: www.hpdaonline.com, ई-मेल: hpda_1@rediffmail.com

पत्रांक 1282 / मानचित्र / एच0पी0डी0ए0 / 20-21

दिनांक 30.7.20

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, के आदेश सं0 583/आठ-3-19-26विधि/2017 टी.सी. दिनांक 20.06.2019 के क्रम में मानचित्र स्वीकृति हेतु सुदृढीकरण शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क(संशोधित) की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया गया है।

1-सुदृढीकरण शुल्क (Betterment charge):-

क्रम सं0	प्रयोजन	स्वीकृत शुल्क	प्रस्तावित निरीक्षण शुल्क
1	आवासीय	रु0 98/-प्रति वर्ग मी0 (भवन के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर)	रु0 108.50/- प्रति वर्ग मी0 (भवन के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर)
2	व्यवसायिक	रु0 146/-प्रति वर्ग मी0 (भवन के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर)	रु0 162/- प्रति वर्ग मी0 (भवन के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर)

2-भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क :- (3.1.2)क

क्रम सं0	भू-उपयोग/किया	स्वीकृत भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क (रु0 प्रति वर्ग मी0)	प्रस्तावित भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क (रु0 प्रति वर्ग मी0)
1	भूखण्डीय आवास एवं अन्य उपयोग	रु0 5/-	रु0 5.25/-

अतः मानचित्र स्वीकृति हेतु वांछित सुदृढीकरण शुल्क एवं भवन भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क(संशोधित) की दरें उपरोक्तानुसार प्रभावी होंगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(लक्ष्मी मिश्रा)
सचिव

पृष्ठांकन
प्रतिलिपि:-

1282 / मानचित्र / एच0पी0डी0ए0 / 20-21

दिनांक
30-7-20

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियंता(प्रभारी मानचित्र)/समस्त सहायक अभियंता/समस्त अभियंतागण को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।

(लक्ष्मी मिश्रा)



हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101. ☎ 0122-2308764-65

वेबसाइट: www.hpdaonline.com, ई-मेल: hpda_1@rediffmail.com

पत्रांक

1284

/मानचित्र/एच0पी0डी0ए0/20-21

दिनांक 06.7.2020

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, के आदेश सं0 583/आठ-3-19-26विविध/2017 टी.सी. दिनांक 20.06.2019 के क्रम में मानचित्र स्वीकृति हेतु वांछित शुल्क व हापुड़ शहर में अवैध रूप से विकसित कालोनियां, जो प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नियमित हो चुकी है, के विकास शुल्क की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया गया है।

1-विकास अनुज्ञा शुल्क(केवल ले-आउट प्लान हेतु) कॉलम 3.1.1

क्रम सं0	भूमि का क्षेत्रफल (है0) में	स्वीकृत विकास अनुज्ञा शुल्क	प्रस्तावित अनुज्ञा शुल्क (वर्तमान कॉस्ट इन्डेक्स के आधार पर)
1	1.0 तक	रु0 10,000/-×1.042	रु0 10420/-
2	1.0 से अधिक एवं 2.5 तक	रु0 20,000/-×1.042	रु0 20840/-
3	2.5 से अधिक एवं 5.0 तक	रु0 30,000/-×1.042	रु0 31260/-
4	5.0 से अधिक तथा प्रत्येक 5.0 है0 अथवा उसके अंश पर	रु0 15,000/-	रु0 15,630/-

2-भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क :- (3.1.2)क

क्रम सं0	भू-उपयोग/क्रिया	स्वीकृत भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क (रु0 प्रति वर्ग मी0)	प्रस्तावित भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क (रु0 प्रति वर्ग मी0)
1	व्यवसायिक/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/शॉपिंग मॉल, सिनेमा/मल्टीप्लैक्स, मिश्रित, कार्यालय उपयोग	रु0 30/-	रु0 31/-
2	गुपहाउसिंग	रु0 15/-	रु0 16/-
3	भूखण्डीय आवास एवं अन्य उपयोग	रु0 5/-	रु0 5/-

3-निरीक्षण शुल्क :- (3.1.3)

क्रम सं०	प्रयोजन	स्वीकृत निरीक्षण शुल्क	प्रस्तावित निरीक्षण शुल्क
1	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क	रु० 20/- प्रति वर्ग मी० (भवन के कुल तल क्षेत्रफल पर)	रु० 21/- प्रति वर्ग मी० (भवन के कुल तल क्षेत्रफल पर)
2	विकास अनुज्ञा शुल्क	रु० 10/- प्रति वर्ग मी० (ले-आउट प्लान के कुल भूमि क्षेत्रफल पर)	रु० 10.50/- प्रति वर्ग मी० (ले-आउट प्लान के कुल भूमि क्षेत्रफल पर)

4ए-वाहय विकास शुल्क :-

क्रम सं०	प्रयोजन	स्वीकृत वाहय विकास शुल्क	प्रस्तावित वाहय विकास शुल्क
1	तलपट मानचित्रों/अन्य मानचित्रों में	रु० 852/- प्रति वर्ग मी०	रु० 944/- प्रति वर्ग मी०

4बी- हापुड़ शहर में अवैध रूप से विकसित कालोनियां जिनका पूर्व में बोर्ड द्वारा विनियमितीकरण किया जा चुका है, के विकास शुल्क की प्रस्तावित दरें निम्नवत हैं:-

क्रम सं०	कालोनी का नाम	स्वीकृत दरें रूपये में (50वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29/09/15 के अनुसार) भूखण्ड के क्षेत्रफल पर	वर्ष 2019-20 में स्वीकृत दरें।	प्रस्तावित दरें रूपये में (वर्तमान Cost Index के अनुसार) भूखण्ड के क्षेत्रफल पर
1	गिरधारी नगर	रु० 240.00	रु० 268.00	रु० 297.00
2	सर्वोदय नगर	रु० 295.00	रु० 330.00	रु० 366.00
	कालोनी गढ़ रोड, हापुड़।			
3	सुभाषनगर	रु० 218.00	रु० 244.00	रु० 270.00
4	अर्जुननगर	रु० 251.00	रु० 281.00	रु० 311.00
5	देवलोक कालोनी	रु० 218.00	रु० 244.00	रु० 270.00
6	वैशाली कालोनी	रु० 327.00	रु० 365.00	रु० 404.00
7	राजीव विहार	रु० 327.00	रु० 365.00	रु० 404.00
8	अपनाघर कालोनी	रु० 426.00	रु० 476.00	रु० 527.00

5-अम्बार शुल्क :-

क्रम सं०	प्रयोजन	स्वीकृत निरीक्षण शुल्क	प्रस्तावित निरीक्षण शुल्क
1	सभी प्रकार के मानचित्रों में	रु० 40/-प्रति वर्ग मी० (भवन के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर)	रु० 41.70/- प्रति वर्ग मी० (भवन के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर)

अतः मानचित्र स्वीकृति हेतु वांछित शुल्क व हापुड़ शहर में अवैध रूप से विकसित कालोनियों जो प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नियमित हो चुकी है, के विकास शुल्क की दरें उपरोक्तानुसार प्रभावी होंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।



(लक्ष्मी मिश्रा)
सचिव

पृष्ठांकन
प्रतिलिपि:-

/मानचित्र/एच०पी०डी०ए०/20-21

दिनांक

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियंता(प्रभारी मानचित्र)/समस्त सहायक अभियंता/समस्त अभियंतागण को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।

(लक्ष्मी मिश्रा)